SPICES BOARD
(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

Azadi Ka Amrit Mahotsav

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

परिपत्र सं:04/2023-24 **29 मई, 2023**

विषय: चीनी जनवादी गणराज्य द्वारा निर्धारित पंजीकरण विनियम पर जानकारी- बाबत

संदर्भ: 1. परिपत्र सं.13/2021 दिनांक 22.10.2021
2. परिपत्र सं: 16/2021 दिनांक 29.11.2022
3. परिपत्र सं: 08/2022-23 दिनांक 25.07.2022
4. परिपत्र सं: 16/2022-23 दिनांक 06.10.2022
5. परिपत्र सं: 20/2022-23 दिनांक 15.12.2022
6. परिपत्र सं: 22/2022-23 दिनांक 10.02.2023

****

उपरोक्त परिपत्रों के क्रम में, आपको यह सूचित किया जाना है कि, चीन को निर्यात करने के लिए खाद्य पदार्थों की कुछ क्षेणियों, जिसमें "प्राकृतिक मसाला पौधे" (चीन में वैध्य बाज़ार पहुंच वाले मसाले एवं मसाला उत्पाद) भी शामिल हैं, के लिए चीनी जनवादी गणराज्य की सीमा-शुल्क के सामान्य प्रशासन के साथ विदेशी उत्पादन उद्यमों का पंजीकरण अपेक्षित है। वर्तमान में, निम्नलिखित प्रणालियों के तहत जीएसीसी द्वारा पंजीकरण जारी किया जाता है।

1. **जीएसीसी की सीआईएफईआर प्रणाली** - प्रसंस्कृत/पिसे हुए मसाले एवं मसाला उत्पादों के लिए पंजीकरण।
2. **जीएसीसी की डीएपीक्यू प्रणाली** - अप्रसंस्कृत/कच्चे/साबुत मसाले।

मसाला बोर्ड, ईओआई, बीजिंग के माध्यम से, ने सीआईएफईआर और डीएपीक्यू दोनों प्रणालियों के तहत, जीएसी द्वारा नई पंजीकरण प्रणाली के कार्यान्वयन के समय सक्रिय फर्मों के लिए एक बार की प्रारंभिक पंजीकरण की सुविधा प्रदान की है। ऐसे पंजीकरणों का विवरण संबंधित निर्यातकों को मसाला बोर्ड के साथ पंजीकृत उनके ईमेल पर सूचित कर दिया गया है। आगे, पंजीकरण दिए गए फर्मों का विवरण और वह ईमेल जिस पर विवरण भेजा जाता है आदि निम्नलिखित लिंक से प्राप्त किया जा सकता है: https://bit.ly/3MI3tk2.। यदि, उपरोक्त लिंक में सूचीबद्ध कोई भी फर्म को पंजीकरण विवरण का ई-मेल प्राप्त नहीं हुआ है तो, marketing.sb-ker@gov.in को एक कॉपी रखते हुए स्पाइसेस बोर्ड सीआरईएस/आरसीएमसी और आईईसी का एक प्रति संलग्न करके razypn.sb@gov.in में बोर्ड को अनुरोध भेजा जा सकता है।

सीआीएफईआर प्रणाली के मामले में, बोर्ड द्वारा न्यूनतम जानकारी के साथ एक बार का थोक पंजीकरण सुकर बनाया गया था और वह तभी वैध्य होगा जब 20 जून 2023 के पहले स्पाइसेस बोर्ड द्वारा संस्तुत और जीएसीसी द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त विवरण फर्म द्वारा अपडेट किया जाता है, जिसे न होने पर उद्यम स्वत: जीएसीसी द्वारा पंजी से निकाल दिया जाएगा। अद्यतन की प्रक्रम संलग्नक I के रूपमें रखा गाया है। तदनुसार, आगे की पुनरीक्षा एवं स्पाइसेस बोर्ड द्वारा इसकी सिफारिश के लिए सीआीएफईआर प्रणाली में एक बार का थोक पंजीकरण प्राप्त हुए फर्मों को 10 जून 2023 के पहले विवरण अपडेट क रने का अनुरोध करता है ताकि फर्म को जीएसीसी के तहत पंजीकृत रखा जाए। जिन निर्यातकों ने पहले ही अपना विवरण सीआईएफईआर प्रणाली में अपडेट किए हैं, उन्हें उपरोक्त प्रक्रम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। यह नोट किया जाए कि 10 जून 2023 के बाद किए गए अद्यतनीकरण अनुरोध पर कार्रवाई करने हेतु बोर्ड सक्षम नहीं है।

डीएपीक्यू प्रणाली के मामले में, आज तक उद्यमों को किसी भी जानकारी अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। डीएपीक्यू प्रणाली में जानकारी अपडेट करने की अपेक्षा यदि कोई हो, तो स्पाइसेस बोर्ड द्वारा सम्यक् प्रक्रम में सूचित की जाएगी।

निदेशक विपणन)

प्रति,
मसाले एवं मसाला उत्पादों के सभी निर्यातक
(फाइल सं: MKT-QR/0001/2020-MARKETING - 18053 से जारी)

फोन / Phone : 0484 2333610-616, 2347965, 2348417, 2341776, फैक्स / Fax : 0484 2341935
इ-मेइल / Email : mail.sboard@gov.in वेबसाइट / Website : www.indianspices.com

1. उपरोक्त प्रदान किए गए उपयोगकर्ता प्रत्यय- पत्र केवल उन उत्पादों के लिए अनुप्रयोज्य है जो 'मसाले' की श्रेणी के तहत आते हैं, जिसके लिए स्पाइसेस बोर्ड संस्तुति के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
2. उपरोक्त उपयोगकर्ता प्रत्यय- पत्र का उपयोग करक` निर्यातक जीएसीसी पॉर्टल (https://cifer.singlewindow.cn/) में लॉग इन कर सकता है।
3. पासवर्ड तुरंत बदलें क्योंकि यह वन-टाइम पासवर्ड है।
4. फिर से लॉग इन करें और संपर्क विवरण (ईमेल) अपडेट करें और लॉग आउट करें।
5. फिर से लॉग इन करें और "एप्लिकेशन फॉर मोडिफिकेशन" पर क्लिक करें।
6. अपेक्षित जानकारी भरें (* चिन्हित क्षेत्र अनिवार्य हैं)
7. उत्पाद विवरण की जाँच करें। यदि चीन के लिए वैध्य बाज़ार पहुँच वाले कोई प्रसंस्कृत/पिसा हुआ उत्पाद पहले ही प्रकट नहीं हुआ तो उत्पादों को जोड़ें। उन उत्पादों की सूची यहाँ देखी जा सकती है जिनके लिए भारत को चीन में बाज़ार पहुँच है http://43.248.49.223/AP_InformationSearchCountry.aspx?type=%u690d%u7269%u6e90%u6027%u98df%u54c1 ("देश और क्षेत्र" के सामने ड्रॉपडाउन से 'भारत' का चयन कर सकते हैं) ।
8. कोई भी नया उत्पाद जोड़ने से पहले, निर्यातक कृपया एचएस कोड, सीआीक्यू कोड एवं उत्पाद की बाज़ार पहुँच की पुष्टी कर सकते हैं। (उत्पाद के नाम पर क्लिक करके उपरोक्त लिंक से एचएस एवं सीआईक्यू कोड प्राप्त कर सकता है)
9. पृष्ठ में दिए गए अन्य क्षेत्र जैसे कानूनी प्रतिनिधि - नाम, कानूनी प्रतिनिधि - पद आदि भरें
10. 'देश (क्षेत्र) के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंसड उत्पादन प्रमाणपत्र' के सामने स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी केवल CRES (RCMC) को अपलोड किया जाएगा।
11. लिंक से घोषणा डाउनलोड करें, उसे भरें, हस्ताक्षर करें और पॉर्टल में अपलोड करें
12. यह सुनिश्चित कर लें कि सीआईएफईआर आवेदन में उल्लिखित कानूनी व्यक्ति ही घोषणा पर हस्ताक्षर करता है।
13. आशोधन आवेदन स्पाइसेस बोर्ड को प्रस्तुत करें। यह ध्यन रखा जा सकता है कि यदि कोई भी नहीं पिसे हुए मसाले अनुमोदित उत्पाद सूची में प्रकट हुए/जोड़े गए हैं तो, जब तक ऐसी वस्तुओं को हटा नहीं दिया जाता तब तक आवेदन प्रस्तुत करना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
14. स्पाइसेस बोर्ड आशोधन आवेदन की पुनरीक्षा करेगा और यदि सही पाया जाता है, तो एक जाँच सूची ईमेल द्वारा निर्यातक के साथ साझा की जाएगी।
15. निर्यातक जाँच सूची में उल्लिखित बिंदुओं के सामने अनुरूपता, गैर-अनुरूपता या एनए का संकेत देकर जाँच सूची भरेगा। यह ध्यान दिया जाए कि जाँच सूची में दिए गए विवरण आवेदन में दी गई जानकारी के संगत हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित और मुहरबंद चेकलिस्ट की हार्ड कॉपी स्पाइसेस बोर्ड को भेजी जाएगी।
16. हार्ड कॉपी प्राप्त होने पर, स्पाइसेस बोर्ड जाँच सूची की पुनरीक्षा करेगा और जीएसीसी को आशोधन आवेदन प्रस्तुत करेगा।
17. अनुमोदन की प्रक्रम करने के लिए जीएसीसी की प्रतीक्षा करें। अनुमोदन की स्थिति को जीएसीसी पोर्टल से 'एकीकृत क्वेरी' टैब के अंतर्गत सत्यापित किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि केवल 'स्वीकृत' स्थिति ही आवेदन के अनुमोदन को इंगित करती है और कोई अन्य स्थिति (स्वीकृत, स्वीकार किया जा रहा है आदि) अनुमोदन को व्यक्त नहीं करती है।

18. नए जोड़े गए उत्पादों के मामले में, निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे सही एचएस कोड (यदि पहले से पंजीकृत नहीं हैं) के पंजीकरण के लिए जीएसीसी की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद दूसरे कार्य-दिवस पर ही परेषण भेज दें। आयातक के साथ सही एचएस कोड की पुष्टि की जा सकती है ताकि उनके परेषण के लिए निकासी के मुद्दों से बचा जा सके।

19. संशोधन के लिए आवेदन भरने से पहले पोर्टल का उपयोग करने के लिए दिशानिर्देशों और बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्रों (संलग्न) का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाएगा।

*****